संख्या-1047/69-1-2016-14(139)/2015 टी.सी.

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी//अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 2016

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय निगरानी समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-162/2016/623/69-1-2016-14(139)/2015 टी0सी0 दिनांक 21 मार्च, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में यह निर्देशित किया गया है कि शहरों में आवासों के वास्तविक मांग के आंकलन हेतु उचित माध्यम से मांग सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा मांग सर्वेक्षण व अन्य उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सबके लिये आवास कार्य योजना (एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0) तैयार करायी जायेगी। इस मिशन के अन्तर्गत अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निदेशक, सूडा द्वारा,जो योजना के मिशन निदेशक नामित हैं, दिनांक 10.08.2016 को हिन्दी समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है। उक्त विज्ञापन के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तीन घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी द्वारा फार्म-4ख भरकर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में से किसी एक कार्यालय में जमा किया जायेगा। फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 09.09.2016 निर्धारित है। इस संबंध में योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण पुस्तिका तैयार कर संलग्न की जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना के अन्तर्गत शहरी निकायों में आवासों की मांग के सर्वेक्षण हेतु लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय निगरानी समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	नगरआयुक्त/परियोजना निदेशक, डूडा	सचिव
3.	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	सदस्य
4.	प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय	सदस्य
5.	परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य सचिव
6.	अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य

उक्त जनपद स्तरीय निगरानी समिति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी घटकों के व्यापक प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

17/8/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

-2/

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

<u>प्रतिलिपि, निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक, डूडा, उ0प्र0।

17/8/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।